



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

File No NCST/SER-971/CG/65/2023-RO-RPR

Dated:- 11.11.2024

सेवा में,

सुश्री नीनु इटियेरा
महाप्रबंधक,
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे,
जोन कार्यालय बिलासपुर,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)- 495004
Email Id: gm@secr.railnet.gov.in, Tel No. - 07752-247000

विषय:- अभ्यावेदक श्री एच. पी. सिंह, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विकास संघ ग्राम - गाडतार, बादकापारा, जिला - कोरिया (छ.ग.) से प्राप्त अभ्यावेदन " दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SEC Railway) द्वारा अनुसूचित जनजाति भारत के संविधान द्वारा सीधी भर्ती ग्रुप- सी, ग्रुप-डी, आवास, पदोन्नति प्रशिक्षण अधिकारों के हनन के संबंध में शिकायत पत्र "।

संदर्भ:- NCST- Regional Office of Chhattisgarh के समसंख्यक नोटिस दिनांक 24.07.2023

महोदया,


चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **18.11.2024 को 12:00 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय


(Dr. P. Kalyan Reddy)
Director
Tel:- 24641640

Copy to :-

श्री एच. पी. सिंह
सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विकास संघ छ. ग.
ग्राम - गाडतार, बादकापारा, जिला - कोरिया (छत्तीसगढ़) (Email:- nationaltribalasso@gmail.com)
(यह सूचित किया जाता है कि दिनांक **18.11.2024 को 12:00 बजे** आयोजित सिटिंग में, आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 में उपस्थित हो।)